सीएनआर नंबर–एमपी09010–15802–2026
एचडीएफसी वि. अजीत सिंह चौहान

23.07.2026 परिवादी एचडीएफसी द्वारा श्री निवेश बड़जात्या अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण आज सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया।

अभियुक्त अनिर्वाहित।

प्रकरण पंजीयन तर्क हेतु नियत है।

परिवादी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 280 बीएनएसएस का पेश किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

परिवादी द्वारा श्री निवेश बड़जात्या ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 द0प्र0स0 का प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया कि आरोपी का ऋण खाता बंद हो जाने के कारण से परिवादी आरोपी के विरूद्ध परिवाद आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

परिवादी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

परिवादी की ओर से परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 25 पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा धारा 25 पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट का मामला समन प्रकृति का मामला होकर शमनीय प्रकृति का है। उक्त आवेदन के अनुसार परिवादी, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है एवं अपना परिवाद वापस लेना चाहता है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 257 द.प्र.सं स्वीकार करते हुए परिवादी को परिवाद पत्र वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण अपंजीबद्ध है। प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

BHUPENDRA TIWARI
Digitally signed by BHUPENDRA TIWARI
Date: 2026.07.25 15:02:31 +0530

भूपेन्द्र तिवारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म.प्र.)